भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *18

01.12.2025 को उत्तर के लिए

पराली जलाने का प्रभाव

***18. श्री चरनजीत सिंह चन्नी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2025 के दौरान पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 20 प्रतिशत की कमी आने के बावजूद पंजाब और हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों के प्रदूषकों के कारण दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी 450 को पार कर गया है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर से नवम्बर, 2025 के बीच जालंधर सहित पंजाब में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पराली जलाने की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निदेशों को लागू करने और उक्त राज्यों में किसानों को वैकल्पिक मशीनें उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

स्थिति 18वीं

'पराली जलाने का प्रभाव' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिनांक 01.12.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *18 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण कई कारकों का एक सामूहिक परिणाम है जिसमें एनसीआर में अधिक घनत्व की आबादी वाले क्षेत्रों में उच्च स्तर पर किए गए मानवजनित कार्यकलाप शामिल हैं। जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाहन जनित प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, विनिर्माण और विध्वंस परियोजना संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों की धूल, बायोमास जलाना, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जलाना, लैंडफिल में आग, बिखरे हुए स्रोतों से वायु प्रदूषण आदि के साथ-साथ विभिन्न मौसम संबंधी कारकों से उत्पन्न होता है। एनसीआर क्षेत्र और पंजाब में सर्दियों के मौसम के दौरान पराली जलाने की भी एक प्रासंगिक घटना के रूप में पहचान की गई है जो दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक को बढ़ाती है।

पंजाब और हरियाणा राज्यों ने मिलकर वर्ष 2022 की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2025 में धान की कटाई के मौसम के दौरान आग लगने की घटनाओं में लगभग 90% की कमी दर्ज की है।

समन्वित प्रयासों से, दिल्ली में बेहतर दिनों (एक्यूआई<200) की संख्या 2016 में 110 दिनों की संख्या से बढ़कर 2025 में 200 दिन हो गई है। जबकि इस वर्ष एक्यूआई में समग्र तौर पर सुधार हुआ है, बहुत खराब दिन (एक्यूआई: 301-400) और गंभीर दिन (एक्यूआई 401 से अधिक) 2024 के 71 दिनों से घटकर 2025 में 50 दिन हो गए हैं। दिल्ली ने पिछले 8 वर्षों में यानी 2018 से 2025 तक (2020 को छोड़कर - कोविड लॉकडाउन) सबसे कम औसत एक्यूआई देखा है।

अक्टूबर और नवंबर (29.11.2025 तक) 2025 के दौरान पंजाब राज्य में रिपोर्ट की गई कृषि क्षेत्र में आग की संख्या का जिले-वार विवरण **अनुबंध I** में उल्लिखित है।

पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. वर्ष 2018-19 से 2025-26 (17.11.2025 तक) की अवधि में, सीआरएम मशीनों के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों को 3120.16 करोड़ रुपये (पंजाब - 1963.45 करोड़ रुपये, हरियाणा - 1156.71 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं। इन राज्यों ने किसानों को 2.6 लाख से ज़्यादा मशीनें और इन राज्यों में 33,800 से ज़्यादा सीएचसी को मशीनें बांटी हैं।

ii. सीएक्यूएम ने 09.05.2025 के निर्देश 90 के ज़रिए छोटे/सीमांत किसानों के लिए सीआरएम मशीनों की किराया मुक्त उपलब्धता के लिए योजना बनाने का निदेश दिया। पंजाब और हरियाणा में धान के अवशेष के प्रबंधन के लिए 1,59,194 और 1,08,729 सीआरएम हैं।

iii. सीएक्यूएम ने दिनांक 03.06.2025 के निर्देश संख्या 92 के माध्यम से पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को एनसीआर से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट / ब्रिकेट के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्देश दिया, जो कि खुले में धान की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त करने के साधनों में से एक है, जिसका लक्ष्य 01.11.2025 से कम से कम 20%, 01.11.2026 से 30%, 01.11.2027 से 40% और 01.11.2028 से 50% के लक्ष्य के साथ धान की पराली आधारित पैलेट / ब्रिकेट की 50% को-फायरिंग करना है।

iv. सीएक्यूएम ने 01 अक्टूबर 2025 को निर्देश संख्या 95 जारी कर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और दिल्ली एनसीटी में उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धान की पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी प्रवर्तन के लिए विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायी नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों और स्टेशन हाउस अधिकारियों सहित अधिकारियों के संबंध में निष्क्रियता के मामले में क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है।

v. सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 कि.मी के दायरे में मौजूद सभी कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों को बायोमास के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कोयले के साथ बायोमास आधारित पैलेट्स, टोरेफाइड पैलेट्स/ब्रिकेट्स (5-10% तक) को को-फायर करने के निर्देश जारी किए हैं।

vi. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 11.07.2023 की यथासंशोधित अधिसूचना के माध्यम से पर्यावरण (थर्मल पावर प्लांट द्वारा फसल अवशेषों का उपयोग) नियम, 2023 को अधिसूचित किया, जिसके अनुसार एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में थर्मल पावर प्लांट द्वारा कोयले के साथ फसल अवशेषों से बने पैलेट्स या ब्रिकेट का न्यूनतम पांच प्रतिशत मिश्रण अनिवार्य किया गया है, ऐसा न करने पर उक्त नियमों के अंतर्गत उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट के आधार पर थर्मल पावर प्लांट के विरुद्ध पर्यावरण मुआवजे की एक निश्चित राशि निर्धारित की गई है।

vii. सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे एनसीआर से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान की पराली आधारित बायोमास पैलेट्स/ ब्रिकेट के उपयोग को अनिवार्य करें, ताकि खुले में धान की पराली जलाने की प्रथा को खत्म किया जा सके।

viii. कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की सघन निगरानी करने और जिला स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों /अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / सीएक्यूएम सेल के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए पंजाब और हरियाणा के अभिज्ञात हॉटस्पॉट जिलों में 01.10.2025 से 31.11.2025 तक 31 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। ये टीमें दैनिक अद्यतन, फोटोग्राफिक साक्ष्य और अनुपालन स्थिति प्रदान करती हैं।

उपर्युक्त उपायों/कार्य के अतिरिक्त, सरकार द्वारा दिल्ली-एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में पराली जलाने से जुड़ी समस्याओं सहित वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु उठाए गए कदमों की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की गई है। हाल की कुछ प्रमुख बैठकें इस प्रकार हैं:

i. फसलों के अवशेष जलाने के प्रबंधन के मुद्दों पर माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री की सह-अध्यक्षता में दिनांक 07.10.2025 को मंत्री स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई थी;

ii. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए वायु प्रदूषण निवारण हेतु किए गए उपायों और कार्यनीतियों पर चर्चा करने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2025, दिनांक 16.09.2025, दिनांक 10.10.2025 और दिनांक 11.11.2025 को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

iii. दिनांक 28.08.2025 को सीएक्यूएम के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सीएक्यूएम की सुरक्षा और प्रवर्तन संबंधी संवैधानिक उप-समिति की बैठक आयोजित की गई, ताकि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा और निगरानी की जा सके और आगामी शीतकालीन मौसम के लिए तैयारी का मूल्यांकन किया जा सके।

iv. पूर्ण आयोग (सीएक्यूएम) की बैठक दिनांक 17.10.2025 को आयोजित की गई थी ताकि संबंधित राज्य सरकारों/ जीएनसीटीडी और संबंधित एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की जा सके और आगामी शीतकालीन मौसम के लिए तैयारियों का आकलन किया जा सके;

v. दिनांक 07.11.2025 को चंडीगढ़ में सीएक्यूएम के अध्यक्ष की अध्यक्षता और पंजाब सरकार के मुख्य सचिव की सह-अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों तथा सभी जिलों के उपायुक्त और एसएसपी उपस्थित हुए।

माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए भी निर्णय लिए गए:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष निर्देशों के आलोक में टीपीपी में धान की पराली की को-फायरिंग की मात्रा को 5% या उससे अधिक तक बढ़ाना।

- पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों को तेज करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने के उद्देश्य से हॉटस्पॉट जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।

- सीआरएम मशीनों के सब-ऑप्टिमल उपयोग को लेकर गंभीर चिंताओं के दृष्टिगत, यह निर्देश दिया गया कि सीआरएम योजना के तहत सीएचसी के माध्यम से प्रदान की गई सीआरएम मशीनों की जमीनी स्तर पर उपयोग की समीक्षा की जाए और पीक कटाई के मौसम में मशीनों के ईष्टतम उपयोग के लिए प्रयासों को गति प्रदान की जाए।

- धान की पराली काटने के मौसम के बाद सीएचसी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए सीआरएम मशीनों की संचालन स्थिति की समीक्षा करना ताकि सीआरएम मशीनों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और अगले मौसम के लिए उनका ईष्टतम उपयोग किया जा सके। धान काटने के अगले मौसम को लक्षित करते हुए पहले ही एक व्यापक योजना भी तैयार की जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी डीसी पर और ब्लॉक/तहसील स्तर पर भी निर्धारित की जा सकती है। सीआरएम के संचालन के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

- उड़न दस्तों के माध्यम से इन स्थलों का निरीक्षण करके टीपीपी, बायोमास पैलेट प्लांट्स, 2जी इथेनॉल संयंत्र में धान की पराली (स्टबल) की आपूर्ति और भंडारण का मूल्यांकन करना और पराली के प्रबंधन के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला और भंडारण सुविधाओं को सुनिश्चित करना तथा अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के मामलों में जिम्मेदारी तय करना भी सुनिश्चित करना।

उपरोक्त निर्णयों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सीएक्यूएम, संबंधित राज्य सरकारें और अन्य संबंधित एजेंसियां विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुवर्ती बैठकें आयोजित करती हैं।

अनुबंध I

वर्ष, 2025 में अक्टूबर और नवंबर (29.11.2025 तक) के दौरान पंजाब राज्य में रिपोर्ट की गई खेत में आग की संख्या का ज़िलेवार ब्यौरा

स्थान	**अक्टूबर, 2025**	**नवंबर, 2025 (29.11.2025 तक)**
अमृतसर	142	118
बरनाला	31	71
बठिंडा	91	277
फरीदकोट	19	112
फतेहगढ़ साहिब	24	25
फाजिल्का	20	249
फिरोजपुर	166	381
गुरदासपुर	49	37
होशियारपुर	7	9
जालंधर	33	52
कपूरथला	59	77
लुधियाना	26	193
मलेरकोटला	18	70
मनसा	41	265
मोगा	32	300
मुक्तसर	33	343
पठानकोट	0	1
पटियाला	87	138
रूपनगर	0	0
संगरूर	279	414
एसएएस नगर (मोहाली)	22	6
एसबीएस नगर	5	10
तरनतारन	363	322
कुल	**1547**	**3470**

*****